



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

No: 692 / SEIAA/2023

Date: 15/6/23

संशोधन पत्र

प्रति,

General Manager,
Environment, Western Coalfields Limited,
Coal Estate Civil lines, Nagpur (Maharashtra)-440001

विषय: प्रकरण क्र. 9646/2023 General Manager, Environment, Western Coalfields Limited, Coal Estate Civil lines, Nagpur (Maharashtra)-440001, Prior Environment Clearance for Expansion of New Sethia OCP in an area of 144.453 ha. (Coal - 0.50 MTPA) (Khasra No. 306), Village-Sethia, Tehsil-Parasia, District-Chhindwara (MP)- EC Amendment

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) समिति की 791वीं बैठक दिनांक 08.06.2023 में लिये गये निर्णय अनुसार।

राज्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21.02.2017 एवं 30.11.2017 में संशोधन हेतु आनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म -4 EC Amendment में आवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 647वीं बैठक दिनांक 29.05.2023 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है:-

".....The committee further observed that other submissions made by the PP were found satisfactory and acceptable, thus committee after deliberation recommends the case for amendment in existing Environmental Clearance "B. General Conditions (a) Mining as following :

S.N.	Amendment Sought for incorporating EC condition
i.	An estimated total 10.09 Mm3 of OB from the adjacent Chhinda OCP Expn. mine will be accommodated into the western quarry void of Expn. New Sethia OCP upto the ground level reclaiming about 24 ha of void.

The committee accepted PP request for amendment in EC and recommended that other general /special EC conditions remain un-changed which has been accorded MoEF& CC, New Delhi vide letter no. J J-11015/452/2007-IA.II (M) dated 21/02/2017 & 30.11.2017 for a production capacity of 0.50 MTPA in the existing land area of 144.453 ha."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC द्वारा समिति द्वारा उपरोक्तनुसार अनुसंधित संशोधन तथा Corporate Environmental Repesibility एवं Plantation से संबंधित अतिरिक्त अधिरोपित शर्त को मान्य किया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शेष सामान्य व विशिष्ट शर्तें वैधता अवधि सहित यथावत रहेगी। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को पालनार्थ एवं सर्व संबंधितों को सूचनार्थ पत्र प्रेषित किया जाये।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णयानुसार सर्व संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।

01/ (मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

No: / SEIAA/2023

Date:

क्र..

693

/SEIAA/2023 भोपाल

दिनांक 15/5/23

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

o/c

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी